

धन-कर

90. धन-कर अधिनियम की, (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) धारा 17 की उपधारा (1क) में, खंड (क) धारा 17 का संशोधन। और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे, अर्थात्:--

- 25 "(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष व्यपगत हो गए हैं, जब तक कि मामला खंड (ख) के अंतर्गत नहीं आता हो;
(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष, किंतु छह वर्ष से अनधिक व्यपगत हो गए हैं; जब तक कि उस कर से प्रभार्य, जो निर्धारण से छूट गया है, शुद्ध धन उस वर्ष के लिए दस लाख रुपए या अधिक है या होने की संभावना है।"

91. धन-कर अधिनियम की धारा 17क में, 1 जून, 2001 से,--

धारा 17क का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में,--

- 30 (i) "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;
(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु जहां धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व की गई थी, वहां ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण, 31 मार्च 2000 तक किसी भी समय किया जा सकेगा।";

(iii) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

35 (ख) उपधारा (3) में,--

- (i) "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;
(ii) "23", अंकों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहाँ वे आते हैं, "23क", अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
(iii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:--

40 "परन्तु जहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा यथास्थिति, धारा 23क या धारा 24 के अधीन आदेश, प्राप्त किया जाता है, अथवा आयुक्त द्वारा धारा 25 के अधीन आदेश, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व पारित किया जाता है, वहां नए निर्धारण का ऐसा कोई आदेश, 31 मार्च, 2002 तक किसी भी समय किया जा सकेगा।";

1957 का 27

92. धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 17ख की उपधारा (1) और उपधारा (3) में, "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से, रखे जाएंगे। धारा 17ख का संशोधन।

93. धन-कर अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में, 1 जून, 2001 से,--

धारा 31 का संशोधन।

- 45 (i) "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;
(ii) दूसरे परंतुक में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

94. धन-कर अधिनियम की धारा 34क में, 1 जून, 2001 से,--

धारा 34क का संशोधन।

(क) उपधारा (3) में, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "नौ प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4ख) के खंड (क) में, "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीन बटा चार प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।